प्रतिलिपि वास्ते : जमानत प्रकरण कं0 563/2022
आदेश दिनांक 01.11.2022 की प्रतिलिपि।

न्यायालयः जितेन्द्र कुमार सिंह, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा जिला–कोरबा (छ0ग0)

1/ महाबलेश्वर सिंह आ0 रामखिलावन, उम्र– 53 वर्ष,
2/ लकेश्वर प्रताप सिंह आ0 जगदीश चन्द्रमणी, उम्र– 32 वर्ष,
3/ जगदीश चन्द्रमणी आ0 भगवंत सिंह, उम्र–57 वर्ष,
4/ उदय कुमार आ0 विष्णु मंगल, उम्र– 45 वर्ष,
5/ धन सिंह आ0 आनंदराम, उम्र– 40 वर्ष,
6/ कृपाल कुमार आ0 सुखनंदन, उम्र–28 वर्ष,
7/ अरूण कुमार आ0 सूर्यकुमार, उम्र– 24 वर्ष,
8/ सूरज कुमार आ0 छतराम, उम्र– 31 वर्ष,
9/ राजेन्द्र आ0 आनंदराम, उम्र– 35 वर्ष,
10/ धूरन दास आ0 मानिक दास, उम्र– 25 वर्ष,
11/ जगत श्रीवास आ0 झिटकूराम, उम्र– 40 वर्ष,
सभी निवासी– ग्राम बनिया, तह0–पोड़ी उपरोड़ा,
जिला–कोरबा (छ0ग0) .....**..आवेदकगण**

//बनाम//

छ0ग0 राज्य
द्वारा जिला दण्डाधिकारी कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0) . .....**अभियोजन**

वन विभाग का
पी0ओ0आर0 कं0 14826/06
अंतर्गत धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण
अधिनियम 1972

:: आदेश पत्रिका की प्रतिलिपि ::

01.11.2022 आवेदकगण/अभियुक्तगण महाबलेश्वर सिंह, लकेश्वर प्रताप सिंह, जगदीश चन्द्रमणी, उदय कुमार, धन सिंह, कृपाल कुमार, अरूण कुमार, सूरज कुमार, राजेन्द्र, घूरन दास एवं जगत श्रीवास द्वारा श्री बी0एल0पाण्डेय अधि0।
राज्य द्वारा ए0पी0पी0 श्री राकेश जायसवाल।

प्रकरण आज अभियुक्तगण की ओर से पेश प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 पर तर्क हेतु नियत है।

परिक्षेत्र अधिकारी पसान से पी0ओ0आर0 कं0 14826/06 अंतर्गत धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित केस डायरी प्राप्त, जिसका अवलोकन किया गया।

प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से पेश प्रथम जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वन विभाग, वन परिक्षेत्र पसान द्वारा आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण/ अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर

न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किया गया है। वे निर्दोष है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित हाथी की मृत्यु किस कारण से हुई, इसके संबंध में विभाग द्वारा जांच पूरी नहीं की गयी है और बिना जांच किये ही आवेदकगण/ अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण का कोई मेमोरण्डम कथन नहीं लिया गया है। आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध नहीं है तथा अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास एवं 25,000/–रूपये के अर्थदण्ड से या दोनों से सजा का प्रावधान है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण दिनांक 22.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। वे अपने–अपने परिवार के कर्ता सदस्य है। उनके जेल चले जाने से उनके परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गयी है। वे स्थानीय निवासी है। उनके जमानत पर रिहा होने के पश्चात कहीं फरार होने की संभावना नहीं है। वह जमानत पर रिहा होने के पश्चात प्रकरण के साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगें। वे न्यायालय के समस्त आदेशों का पालन करेंगे। अतः निवेदन किया गया है कि उनकी ओर से पेश जमानत आवेदन स्वीकार कर उन्हें जमानत एवं मुचलके पर रिहा किया जावे।

श्री साखन दास द्वारा आवेदक/ अभियुक्त धूरन दास को अपना चचेरा भाई होना, श्री विवेक प्रकाश द्वारा आवेदक/ अभियुक्त महाबलेश्वर को अपना पिता एवं शेष आवेदकगण उसके पारिवारिक रिश्तेदार होना, कमला बाई द्वारा आवेदक/ अभियुक्त धन सिंह को अपना पति होना एवं राजेन्द्र को अपना देवर होना, रामकुंवर द्वारा आवेदक/ अभियुक्त कृपाल कुमार को अपना पुत्र होना एवं सूरज कुमार को अपना ससुर का बेटा होना, अंजनी बाई द्वारा आवेदक/ अभियुक्त जगत श्रीवास को अपना पति होना कहते हुए इसे इस न्यायालय के समक्ष प्रथम जमानत आवेदन होना एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश न होना एवं निराकृत न होना कहते हुए अपना–अपना शपथ पत्र पेश किया हैं।

आवेदन के तथ्यों के अनुरूप ही तर्क कर आवेदकगण/ अभियुक्तगण की ओर से जमानत आवेदन स्वीकार कर आवेदकगण / अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः आवेदकगण/ अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान ए0पी0पी0 श्री राकेश जासवाल ने कहा है कि प्रकरण की गंभीर अवस्था को देखते हुए आवेदकगण/ अभियुक्तगण की ओर से पेश जमानत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जावे।

केस डायरी का अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 20.10.2022 को बी0एफ0ओ0 बनिया परिसर एवं बी0एफ0ओ0 बीजाडाड़ के साथ ग्राम बनिया से लगे हुए जंगल कक्ष पी0–211 एवं ओ0ए0–628 के किनारे एवं आस–पास लगे हुए खेतों का निरीक्षण जलके सरकिल

के स्टॉफ द्वारा किये जाने पर ग्राम बनिया से गाड़ा गोड़ा पहुंच मार्ग की ओर लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर एवं आवेदक/ अभियुक्त महाबलेश्वर के खेत में ताजा मिट्टी खुदा हुआ एवं उभरा हुआ दिखाई देने पर वन रक्षक सुरेश यादव द्वारा खेत की उपरी मिट्टी हटाये जाने पर वन्य प्राणी का मृत शरीर दफनाया जाना पाया गया। पूरी मिट्टी को हटाने पर एक नग नर हाथी को दफनाया होना पाया गया। मृत हाथी का पोस्टमार्टम कराया गया एवं उक्त घटना के संबंध में पी0ओ0आर0 क्रं0 14826/06 दिनांक 20.10.2022 दर्ज किया गया। गवाहों के बयान पंचनामा के आधार पर आवेदकगण/ अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय से न्यायिक रिमाण्ड लिया गया है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39 (1) (घ), 2 (14), 16 (ग), 50 (5), 51 अंतर्गत मामला दर्ज होना दर्शित है।

जमानत विरोध पत्र अनुसार लेख किया गया है कि हाथी को शव परीक्षा प्रतिवेदन से खाद्य पदार्थों विष देकर हाथी को मारा गया है एवं मामले का मुख्य आरोपी कोमल सिंह फरार है। कोमल सिंह द्वारा धमकी भी दिया गया है, जिसका ऑडियो क्लीप केस डायरी के साथ संलग्न है।

केस डायरी के अवलोकन से दिनांक 21.10.2022 को मृत हाथी का शव परीक्षण कराया जाना प्रकट हुआ है, जिसमें हाथी के अमाशय को विष से क्षति कारित होना एवं अंदरूनी रक्तस्त्राव होना लेख किया गया है, जिससे हाथी की मृत्यु प्रथमदृष्टया विषाक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से होना प्रकट है। केस डायरी में जप्तीनामा फार्म अनुसार महाबलेश्वर कंवर के खेत में मृत हाथी का शव 14 गेज तार, लकड़ी का खूंटा, नमक के 12 खाली पैकेट, फावड़ा, कीटनाशक दवाई एवं तार का जप्त किया जाना भी प्रकट हुआ है। केस डायरी में लेख गवाहों के कथनों से आवेदकगण/ अभियुक्तगण द्वारा केवल हाथी के शव को दफनाये जाने का तथ्य ही प्रथमदृष्टया दर्शित हुआ है। अन्य तथ्यों के संबंध में केस डायरी अनुसार अन्वेषण शेष होना प्रकट है।

उपरोक्तानुसार हाथी को आवेदकगण/ अभियुक्तगण द्वारा मार दिये जाने के संबंध में केस डायरी अनुसार प्रथमदृष्टया साक्ष्य का अनुपलब्ध होना दर्शित है एवं केवल आवेदकगण/ अभियुक्तगण द्वारा मृत हाथी को खेत में दफनाये जाने के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य गवाहों के लेख कथनों से प्रकट है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट उपरोक्त अपराध का आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं होना दर्शित हुआ है, इसके साथ ही आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय प्रकट है। केस डायरी के अवलोकन से आवेदकगण/ अभियुक्तगण के गिरफ्तारी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य 2014 (8) एस0सी0सी0 273** में घोषित प्रकियाओं का अपालन भी प्रत्यक्ष है। केस डायरी अथवा किन्ही प्रपत्रों से गिरफ्तारी की आवश्यकता के संबंध में कुछ भी लेख नहीं किया गया है। जहां तक संलग्न पैन ड्राईव में रिकार्ड किये गये ऑडियो का प्रश्न है, इस संबंध में केस

डायरी के अवलोकन से उक्त ऑडियो कहां से और किस से जप्त किया गया है, इसका भी कोई उल्लेख प्रकट नहीं है, उक्त ऑडियो किसके द्वारा एवं किसकी आवाज रिकार्ड की गयी है, इसके संबंध में भी कोई तथ्य प्रकट नहीं है, इसलिए प्रथमदृष्टया उक्त रिकार्डेड आडियो पर कोई निष्कर्ष दिया जाना विधितः सुरक्षित नहीं है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण दिनांक 20.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगना भी संभाव्य है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदकगण/ अभियुक्तगण को यह न्यायालय निम्न शर्तों के अधीन जमानत का लाभ देना उचित पाती है :–

शर्त :–

1/ आवेदक / अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात अन्वेषण में जब और जहां अपेक्षा किया जाए, अपनी उपस्थिति के साथ समस्त वांछित सहयोग करेंगे।

2/ आवेदकगण/ अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

3/ आवेदकगण/ अभियुक्तगण विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी तिथि को आवश्यक रूप से उपस्थित होकर विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

4/ आवेदकगण/ अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात प्रकरण के किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तों अथवा उनमें से किन्हीं शर्त के अपालन की दशा में जमानत आदेश निरस्त समझा जावेगा।

उपरोक्त शर्तों से आबद्ध करते हुए आवेदकगण/ अभियुक्तगण की ओर से यदि विचारण न्यायालय के समक्ष 25–25 हजार रूपये का सक्षम जमानत एवं उतनी ही राशि का मुचलका विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य प्रस्तुत करें तो आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की सत्यप्रतिलिपि के साथ केस डायरी संबंधित वन विभाग को एवं रिमाण्ड प्रपत्र के साथ संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

प्रकरण का परिणाम अभिलेख पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–

जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

<u>सत्य प्रतिलिपि : –</u>

1/ श्री रमेश चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा,

2/ वन परिक्षेत्र अधिकारी, पसान

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/–

जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला–कोरबा (छ0ग0)